न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द

(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 46 / 2023 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम / नियम)

GCMS NO :– 2023 / 86

दायर दिनांक :– 06 / 07 / 2023

निर्णय दिनांक :– 14 / 12 / 2023

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री शशिकांत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री ईश्वरलाल मेवाडा पुत्र श्री बस्तीलाल मेवाडा उम्र 48 जाति मेवाडा निवासी पंचरत्न कॉम्पलेक्स, भीलवाडा रोड़, कांकरोली, राजमसंद जिला राजसमंद (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स राधे एन्टरप्राईजेज, पंचरत्न कॉम्पलेक्स, भीलवाडा रोड़, कांकरोली, राजमसंद जिला राजसमंद।
2. श्री जगदीश चंद्र प्रजापत पुत्र श्री लादूलाल प्रजापत उम्र 34 निवासी सी–436, एलआईसी ऑफिस के सामने, भीलवाडा राज.–311001 मैसर्स जगदीश ट्रेडर्स, ए–1109, गौतमधाम रोड़, न्यू ईरा स्कूल के पास, बापू नगर, भीलवाडा राज.।
3. श्री भरत पी पारीक पुत्र श्री रामानंद एन. पारीक उम्र 64 निवासी ए / 302, अर्जुनरत्न अपार्टमेन्ट, धर्ममान प्लेट के सामने, सी.पी. नगर के पास, घाटलोदिया, अहमदाबाद गुजरात– 380061 (फर्म नोनिमी) मैसर्स वाडिलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, कोलोनाड बिल्डिंग 10वां फ्लोर, स्कॉन टेम्पल, बीआरटीएस बस स्टॉप, आम्बली बोपाल रोड़, बोपाल, अहमदाबाद (गुजरात) –380015
4. मैसर्स वाडिलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, कोलोनाड बिल्डिंग 10वां फ्लोर, स्कॉन टेम्पल, बीआरटीएस बस स्टॉप, आम्बली बोपाल रोड़, बोपाल, अहमदाबाद (गुजरात) (निर्माता कम्पनी)

– विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(।।) एफएसएस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 282 दिनांक 09.11.2011 के अनुसरण में श्री शशिकांत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर सबसटेण्डर्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी श्री ईश्वरलाल मेवाडा पुत्र श्री बस्तीलाल मेवाडा उम्र 48 जाति मेवाडा निवासी पंचरत्न कॉम्पलेक्स, भीलवाडा रोड़, कांकरोली, राजमसंद जिला राजसमंद (फर्म मालिक एवं विक्रेता) इनकी दूकान मैसर्स राधे एन्टरप्राईजेज, पंचरत्न कॉम्पलेक्स, भीलवाडा रोड़, कांकरोली,

राजमसंद जिला राजसमंद पर दिनांक 08.06.2022 को 04.00 पी.एम. पर वास्ते चेकिंग पहूंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश नही किया । वक्त निरीक्षण उक्त फर्म पर के पास खाद्य पदार्थ टाईस क्रिम रियल केशर पिस्ता (वाडिलाल) के 20 पैकेट प्रत्येक 700 एमल संस्थान के कॉल्ड रूम में आम जनता के लिए विक्रय हेतू रखे हुऐ थे। इसमें मिलावट का शक होने पर **खाद्य पदार्थ आईस क्रिम रियल केशर पिस्ता (वाडिलाल) के 02 पैकेट** प्रत्येक 700 एमएल जिसकी कीमत विक्रेता को रु. 261/– (दो सौ इकसठ रूपये) विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ टाईस क्रिम रियल केशर पिस्ता (वाडिलाल) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा टाईस क्रिम रियल केशर पिस्ता (वाडिलाल) को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग–2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई, नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद के त्र क्रमांक : एफएसएसए/2022/2416 दिनांक 21.06.2022 के साथ खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./610/एक्ट/2022/610 दिनांक 15.06.2022 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ टाईस क्रिम रियल केशर पिस्ता (वाडिलाल) सबसटैण्डर्ड होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने दिनांक 14.08.2017 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता लिखित बहस पेश कर अपनी बहस में अवगत कराया कि –

This is with respect to your above referred notice dated 19/12/2022 directing appearance on 03/01/2023 for submitting information /date under Food Safety and Standards Act, 2006 against the application filed by the Food Safety Officer , Food And Drugs Control Administration (Raj.) Rajsamand against Non Applicants in respect of " Real Kesar Pista " Vadilal Ice Cream Batch no. P-300522 **Pkd-5/22, Use by:-4/23 which was COLLECTED ON 8/6/2022.**

1) At the outset it is submitted that the present application as framed and filled is not tenable in the eye of law. The non applicants most respectfully submit that the applicant failed to follow the mandatory provisions of law and therefore the present proceedings are devoid of any substance and therefore the same may kindly be dismiss with cost.

2) The non-applicants submit that the analysis report was never supplied to them prior to the filling of the present proceedings and therefore the valuable right of non-applicants to challenge the report was snatched. It may kindly be noted that right to file appeal is statutory right. The present non applicants were never informed about the analysis report. Under such circumstances the present proceedings are devoid of any substances and therefore for non- compliance of the provisions of rules the proceedings may kindly be dismissed with cost. It may kindly be noted that the non-applicants got the information about the report only after appearing in the matter and in between period the shelf life of the product was expired and therefore it would be of no use to challenge the report or to file appeal.

3) Without prejudice to the aforesaid submission and without admitting any of the contentions of the applicant, the non-applicants submit that are carrying on their business in accordance with the provisions of law and it is always their endeavor to comply each and every provision of law. It will not be out of place to mention here that the non-applicant Mr. Bharat Parikh is a nominee of M/s. Vadilal Enterprises Limited which is organization having excellent reputation in the market. In fact the consistent effort of the organization in respect of quality and that to without any compromise had gain the faith of public / customer at large. It is worth to mention here that M/s.Vadilal Industries Limited in order to have check on the qualities; The perusal of the same would demonstrate that the non-applicants are not at fault and the quality of the same is within the limit of specification/ standards. Under such circumstances the present proceedings are devoid of any substance.

Without prejudice to the aforesaid submission and without admitting any of the contentions of the applicants, the non- applicants submit the para vise reply as under: -

4) As to charge: - At the outset it is submitted that the pleadings as styled as charge in the opening of the complainant do not reflect any charges against the non-applicants and therefore they are liable to be exonerated from the proceedings

As per as the non-applicants are concerned it is most respectfully submit that they had not committed any act that will amount to breach of any of the provisions of law, further the pleadings are absolutely silent on the part that as to how non applicants are connected with the alleged incidence and therefore the proceedings may kindly be dropped against them.

5) As to para No.1:- The contention of applicant that he is appointed as FSO U/s 37 are specifically denied as no notification in respect of the same is placed on record. Rest of the contents of this para is specifically denied.

6) As to para No. 2:- For want of specific information the contents of this para are denied.

7) As to para No. 3 to 12:- The alleged process was not carried in front of the answering non applicant and therefore the same is specifically denied.

8) The contents of para No. 1 to 12 which are not denied are hereby specifically denied.

9) The prayer clause is opposed and specifically denied.

10) Without prejudice to aforesaid submission and without admitting any of the contentions of the applicant the answering non applicants most respectfully submit that the pleadings of the complainant are absolutely silent about the role of the manufacturing company. In fact the alleged goods might be collected from Non applicant no. 1 which may be not stored properlyfurther more as all the non-applicants are merely either vendor,dealer or marketer company ***None of them are manufacturer so*** **that the office of applicant is duty bound to prosecute, initiate appropriate correspondence with the non-applicants and joined manufacturer as co non-applicant as the name and address of manufacturing co. is already mentioned on label as per the report of F.A.**.This fact suggests that before granting the sanction to prosecute **sanctioning authority has not applied its mind**. On this point we are relying upon the judgment delivered by Honorable Apex Court of India. Reported in **A.I. R. S.C. Page-. ,. Under Sectiuon -80 (C) they are protected and entitled to get benefit of warranty.**.

11) Without prejudice to aforesaid submission and without admitting any of the contentions of the applicant, answering non-applicants most respectfully submit that the Rule 2.4.2(9)(5) of Food Safety Standards Rule 2011 specifically contemplates that the analysis report shall contain the method of analysis as well as sampling . However in the present case if the report is perused then one will come to the conclusion that no such methodof sampling is mentioned in the report.

In case in hand the report is absolutely silent as to how and which method of samplingwas followed and it can't be presumed that any particular mode of sampling was followed and therefore the report is not at all admissible in the eye of law . Further the said report can't be relied upon without examine the F.A.. Under such circumstances the present application is liable to be dismiss with cost.

Even if the report is perused one will find that it is mentioned that the applicant knows about the preservation of sample even though the sample was sent to F.A. in impropermethod and without proper preservation.However it is not known as to how the Food Analyst has mentioned that The aforesaid aspects

demonstrate that the report was mechanically prepared and no such sample as alleged was ever conducted. Under such circumstances the present proceedings are devoid of any substance and are liable to be dismiss in the interest of justice. The answering non applicants most respectfully submit that as per the provisions of 2.4.2(1)(5) the Food Analysis Report has to be submitted in Form VII- A, however alleged report is not in the said form and therefore the same is not admissible in the eye of law and on this count also the proceedings are liable to be dismiss in the interest of justice

12) Without prejudice to aforesaid submission and without admitting any of the contentions of the applicant as per the provisions of Rule 3.1.1(1)(3) this Hon'ble authority is vested with the powers to hold an inquiry in connection with the offence punishable under Section 50 to 52 of Food Safety and Standards Act 2006. However if the application is perused one will find that no allegations of offence under section 50 to 52 are leveled on Non-Applicants as manufacturer is not joined as non-applicant, and therefore they were liable to be discharge from the present proceedings &Your Honour should have to waive this notice. At the cost of repetition, it is most respectfully submitted that the alleged report is silent on the point as to which process was followed for the sampling, further the alleged memorandum is absolutely silent on the point of sampling method and its transportation that to after shifting of it from answering non-applicant and under such circumstances the present proceedings are liable to be dismiss against the non-applicants in the interest of justice.

13) Without prejudice to aforesaid submission and without admitting any of the contentions of the applicant, the answering non applicants most respectfully submits that the ghee is required to keep in dry conditions as well as away from light and heat. In the case in hand the documents produced on record do not reflects any information in respect of storage, i.e. to say it is not mentioned as to how it was stored. . As such the application is devoid of any substance.

14) Without prejudice to aforesaid submission and without admitting any of the contentions of the applicant, the answering non applicants most respectfully submits that the provisions of rule 2.4.1(1)(8)(iv)(v) (10)(i) has not been complied with. It will not be out of place to mention here that the said rules are mandatory in nature and alleged documents filed on record clearly demonstrates that the said rules are not complied with. Under such circumstances the present proceedings may kindly be quashed in the interest of justice.

In the light of above submission, the present proceedings may kindly be dismissed in the interest of justice.

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि प्रकरण दिनांक 06.07.2023 से दर्ज होकर काफी समय से लम्बित है, जिसमें वृहत्त सार्वजनिक हित निहित है, समुचित युक्तियुक्त सुनवाई के अवसर पत्रावली पर प्रदत्त किये हुए है, दिनांक 14.12.2023 को विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज शर्मा एवं ऋषि राज पालीवाल उपस्थित, बहस के साथ–2 लिखित बहस पेश की, जो शामिल पत्रावली है। राज्य सरकार जरिये श्री शशीकांत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.) द्वारा पेश किया गया प्रकरण एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण की लिखित बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का **आईस क्रिम रियल केशर पिस्ता (वाडिलाल)** सबसटैण्डर्ड होना पाया गया, अतः

विपक्षीगण ने सबस्टैण्डर्ड **आईस किम रियल केशर पिस्ता (वाडिलाल)** विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है।

वृहत् सार्वजनिक हित (Public interest at large) को दृष्टिगत प्रथम दृष्टया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत दोष सिद्धि कारित होने से विपक्षी संख्या 1. श्री ईश्वरलाल मेवाडा पुत्र श्री बस्तीलाल मेवाडा उम्र 48 जाति मेवाडा निवासी पंचरत्न कॉम्पलेक्स, भीलवाडा रोड़, कांकरोली, राजमसंद जिला राजसमंद (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स राधे एन्टरप्राईजेज, पंचरत्न कॉम्पलेक्स, भीलवाडा रोड़, कांकरोली, राजमसंद जिला राजसमंद पर राशि 10,000/– रूपये (अक्षरे रूपया दस हजार), श्री जगदीश चंद्र प्रजापत पुत्र श्री लादूलाल प्रजापत उम्र 34 निवासी सी–436, एलआईसी ऑफिस के सामने, भीलवाडा राज.–311001 मैसर्स जगदीश ट्रेडर्स, ए–1109, गौतमधाम रोड़, न्यू ईरा स्कूल के पास, बापू नगर, भीलवाडा राज पर राशि 20,000/– रूपये (अक्षरे रूपया बीस हजार), श्री भरत पी पारीक पुत्र श्री रामानंद एन. पारीक उम्र 64 निवासी ए/302, अर्जुनरत्न अपार्टमेन्ट, धर्ममान प्लेट के सामने, सी.पी. नगर के पास, घाटलोदिया, अहमदाबाद गुजरात– 380061 (फर्म नोनिमी) मैसर्स वाडिलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, कोलोनाड बिल्डिंग 10वां फ्लोर, स्कॉन टेम्पल, बीआरटीएस बस स्टॉप, आम्बली बोपाल रोड़, बोपाल, अहमदाबाद (गुजरात) एवं मैसर्स वाडिलाल एन्टरप्राईजेज लिमिटेड, कोलोनाड बिल्डिंग 10वां फ्लोर, स्कॉन टेम्पल, बीआरटीएस बस स्टॉप, आम्बली बोपाल रोड़, बोपाल, अहमदाबाद (गुजरात) (निर्माता कम्पनी) पर राशी 50,000/– (अक्षरे रूपया पचास हजार) की पेनल्टी से आरोपित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के प्रावधानों का उल्लघन नहीं करे, विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान से निर्णय दिनांक से एक माह की अवधि में राजकोष में आवश्यक रूप से जमा करा पावती प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर, टकिंत कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रा0 फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय की प्रति संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

14/12/2023

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द